न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या **08/2021** दायर दिनाँक **12.04.2021**

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. तहसीलदार डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. हणमानाराम अर्जनराम पुत्र किशनाराम निवासी तैलिया कुआ की ढाणी तहसील डीडवाना जिला—नागौर राज0 वगैरह।

प्रार्थना पत्र बाबत्
चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकर्ड में अंकन बाबत
राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1957 के नियम— 58, 59, 60, 66, 86
अन्तर्गत धारा 131, 132 L.R.Act.

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **19.07.2021**

तहसीलदार डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज—6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनाँक 10.08.2016 के संदर्भ में आपने अपने पत्र क्रमांक रास्ता/रास्ता अभियान/2021/राजस्व/**730** दिनाँक **06.04.2021** के द्वारा ग्राम—**तैलिया कुआ की ढाणी** पटवार मण्डल— **मौलासर** खेत खसरा सं0 **24, 16, 18** की सरहद में संलग्न सूची के अनुसार चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का जमाबन्दी एवं नक्शे में अंकन किये जाने बाबत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज—6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनाँक 10.08.2016 के अनुसार ऐसे चालु रास्तो का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एव 132 तथा राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार के प्रार्थना पत्र पर किया जायेगा। अप्रार्थीगण मोतीराम, पोखरराम, हणमानदेवी, गणेशाराम को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजुद तामिल के अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज—6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है। राज्य सरकार के परिपत्र के संदर्भ में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न सूची व ट्रेस नक्शे के अनुसार ग्राम—**तैलिया कुआ की ढाणी** पटवार मण्डल— **मौलासर** खेत खसरा सं0 **24, 16, 18** का राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जावें। संलग्न सूची व ट्रेस नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम हों।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:41:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक **19.07.2021** को [illegible] इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner